भारत में होम्योपैथी - चुनौतियां एवं सम्भावनाएं

डॉ. अनुरुद्र वर्मा

विश्व की नवीनतम चिकित्सा पद्धति होम्योपैथी ने लगभग दो सौ वर्ष के अंतराल में जन सामान्य में अपनी उपयोगिता सिद्ध कर दी है। मानव को पूर्ण रूप से रोग मुक्त करने के उद्देश्य से परिपूर्ण इस पद्धति का आविष्कार जर्मनी में 10 अप्रैल 1755 को जन्मे डॉ. हैनीमैन द्वारा 1790 में किया गया था। डॉ. हैनीमैन एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में एम.डी. उपाधि प्राप्त थे और उन्होंने तत्कालीन प्रचलित उपचार की पद्धति में व्याप्त कमियों को दूर करने के लिए होम्योपैथी का आविष्कार किया था।

जर्मनी से भारत तक की होम्योपैथी की यात्रा बहुत लम्बी नहीं है। डॉ. हैनीमैन के जीवन काल में ही सन् 1810 में यह पद्धति बंगाल में प्रारम्भ हो गई थी। प्रारम्भिक काल में लोग शौकिया भाव से मुफ्त में होम्योपैथी के माध्यम से उपचार करते थे।

धीरे-धीरे होम्योपैथी के प्रभाव एवं विशिष्टताओं से प्रभावित होकर देश के अनेक भागों में कुछ एलोपैथिक चिकित्सक होम्योपैथी के द्वारा उपचार करने लगे। यह होम्योपैथी की विशिष्टता ही कही जाएगी की तमाम विरोधों, असहयोग एवं सरकारी संरक्षण के अभाव में भी उसने लम्बे समय तक अपनी यात्रा सफलता पूर्वक तय की है।

होम्योपैथी की ओर लोगों का झुकाव एवं उसकी उपयोगिता को देखते हुए भारत सरकार द्वारा सन् 1945 में गठित समिति ने सन् 1949 में होम्योपैथी को मान्यता प्रदान करने की अनुशंसा कर दी थी। भारत सरकार ने सन् 1951 में होम्योपैथी को स्वतंत्र चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता प्रदान कर दी।

होम्योपैथी के माध्यम से देश की एक बड़ी आबादी को कम खर्च में प्रभावी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है। इसलिए भारत सरकार द्वारा होम्योपैथी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में शामिल किया गया है। इस समय देश लगभग में 3 लाख पंजीकृत होम्योपैथिक चिकित्सक हैं जो देश के विभिन्न भागों में चिकित्सा कार्य कर रहे हैं। वैसे तो इन पंजीकृत चिकित्सकों को अन्य चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों की भांति अधिकार एवं सुविधाएं प्राप्त हैं परन्तु सरकारी सेवा में उन्हें ऐलोपैथी के चिकित्सकों के समान सुविधाएं नहीं मिल रही हैं।

हैनीमैन (1755-1843)

विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में होम्योपैथी की शिक्षा, शोध एवं गुणवत्ता आदि के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। सरकारी मान्यता मिलने के पश्चात शुरुआत में अनुभव के आधार पर चिकित्सकों का पंजीकरण किया गया। बाद में निजी क्षेत्र में अनेक मेडिकल कॉलेज स्थापित हुए।

मान्यता मिलने के बाद केन्द्र सरकार ने होम्योपैथी की शिक्षा के मानकीकरण, चिकित्सकों के पंजीकरण एवं चिकित्सकों की व्यावसायिक आचार संहिता तैयार करने के लिए सन् 1973 में केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद का गठन किया। परिषद ने लगभग 30 वर्ष के अपने कार्यकाल में होम्योपैथी शिक्षा में एकरूपता लाने के लिए अनेक प्रावधान किए। वर्षों से देश में भिन्न-भिन्न नामों से विभिन्न अवधियों के पाठ्यक्रम चल रहे थे। परंतु कठिन परिश्रम के बाद परिषद ने इस विसंगति को दूर करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की और अब देश में केवल साढ़े पांच वर्षीय डिग्री (बी.एच.एम.एस) पाठ्यक्रम चल रहे हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि परिषद ने होम्योपैथिक से सम्बंधित विभिन्न विषयों में एम.डी. प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की है तथा कुछ अन्य विषयों में एम.डी.

पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की तैयारी चल रही है। देश के 33 कॉलेजों में होम्योपैथी में एम.डी.पाठ्यक्रम की पढ़ाई चल रही है। परिषद ने कॉलेजों के लिए न्यूनतम मापदण्ड भी निर्धारित किए हैं।

इस समय देश में 183 होम्योपैथिक कॉलेज चल रहे हैं। होम्योपैथी की शिक्षा ज़्यादातर निजी संस्थाओं के हाथ में है। केवल 30 कॉलेज ही राज्य सरकारों द्वारा संचालित हैं जो विभिन्न विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध हैं। अभी तक देश के होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों में शिक्षण एवं चिकित्सालय की सुविधाएं पर्याप्त नहीं है जिससे हौम्योपैथी में जिस स्तर की गुणात्मक शिक्षा की आवश्यकता है वह छात्रों को नहीं उपलब्ध हो पा रही है। होम्योपैथी कॉलेजों के सुदृढ़ीकरण के लिए और प्रयास आवश्यक हैं। इसके लिए सरकार, निजी प्रबंधन तंत्र एवं परिषद को ठोस कदम उठाना पड़ेगा।

भारत सरकार ने होम्योपैथी के विकास की ज़रूरत को समझते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आयुष विभाग का गठन किया है। इसके फलस्वरूप भारतीय चिकित्सा पद्धतियों एवं होम्योपैथी के प्रचार-प्रसार में तेज़ी आई है। भारत सरकार ने होम्योपैथी में उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए सन् 1975 में कोलकाता में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी की स्थापना की थी, जो तमाम शैक्षिक कठिनाइयों के बावजूद भी कार्य कर रहा है।

किसी भी चिकित्सा पद्धति की विशिष्टताओं एवं उसके उपचारक गुणों को उजागर करने के लिए शोध महत्वपूर्ण साधन होता है। होम्योपैथी में शोध के लिए भारत सरकार ने सन् 1978 में केन्द्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद की स्थापना की जिसने देश भर में स्थापित अपने 30 शोध केन्द्रों के माध्यम से क्लीनिकल रिसर्च, ड्रग रिसर्च, लिटरेरी रिसर्च आदि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। परंतु होम्योपैथी में जिस तेज़ी से शोध कार्य होने चाहिए वह नहीं हो पा रहा है। होम्योपैथी में शोध कार्यो में गति न आ पाने का प्रमुख कारण शोध सुविधाओं की कमी है।

पशु चिकित्सा के क्षेत्र होम्योपैथी के प्रभाव पर शोध किया जाना आवश्यक है। वातावरण में बदलाव ने भी रोगों की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। विगत वर्षों में मनुष्य ज़्यादा विषैले पदार्थों के सम्पर्क में आया है। इसके कारण रोगों में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त आधुनिक औषधियों ने अनेक रोग उत्पन्न किए हैं, अनेक रोग रूप बदलकर सामने आ रहे हैं। इनके उपचार में होम्योपैथी की भूमिका के सम्बंध में शोध किया जाना आवश्यक है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में अभी होम्योपैथी को अपनी पूरी उपयोगिता सिद्ध करनी है तथा सरकार को स्वास्थ्य कार्यक्रमों में होम्योपैथी को पूरी भूमिका देनी चाहिए।

किसी चिकित्सा पद्धति की सफलता उसकी औषधियों की गुणवत्ता पर आधारित होती है। औषधियों की गुणवत्ता की जांच एवं मानक निर्धारण के लिए भारत सरकार ने सन् 1975 में आधुनिक सुविधाओं से युक्त होम्योपैथिक फार्मोकोपिया लैबोरेटरी की स्थापना गाज़ियाबाद में की थी जिसने इस क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए

होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति सम समः समयति के सिद्धांत पर कायम है। डॉ. हैनीमैन द्वारा प्रतिपादित दर्शन चिकित्सा विज्ञान का सबसे आधुनिक दर्शन है। होम्योपैथी आज विश्व के 90 से अधिक देशों में लोकप्रिय है। इसे भारत, श्रीलंका, ब्रिटेन, पाकिस्तान आदि देशों की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं में शामिल किया जा चुका है। होम्योपैथिक

औषधियों का वर्तमान विश्व बाजार 135 अरब रुपए से अधिक का है तथा वार्षिक वृद्धि दर 25 प्रतिशत है। दवा उद्योग जहां 13-15 प्रतिशत की गति से वृद्धि कर रहा है वहीं होम्योपैथी का बाज़ार 25-30 प्रतिशत की गति से आगे बढ़ रहा है। मार्केट रिसर्च ग्रुप मिंटेल का अनुमान है कि 2012 तक होम्योपैथी का बाज़ार 460 लाख पाउंड होगा।

हैं। परंतु अकेले एक संस्था के माध्यम से सारे देश में मानकों एवं गुणवत्ता को बनाए रखना कठिन कार्य है। इसलिए इस संस्था को और विस्तार देने की ज़रूरत है। केन्द्र सरकार ने होम्योपैथिक औषधियों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अच्छी उत्पादन प्रक्रिया व्यवस्था लागू की है और औषधियों के लेबल पर एक्सपायरी तारीख अंकित करने का प्रावधान किया है।

देश में होम्योपैथी की लोकप्रियता का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि देश के विभिन्न भागों में चिकित्सा कार्य कर रहे लगभग 3 लाख चिकित्सक करोड़ों रोगियों का उपचार करते हैं। देश में लगभग 10 हजार सरकारी दवाखाने, 250 से अधिक होम्योपैथिक चिकित्सालय जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। आई.सी.एम.आर के एक सर्वेक्षण के अनुसार 14 प्रतिशत से अधिक लोग होम्योपैथी से उपचार कराने में विश्वास करते हैं। इस संस्था के अनुमान के अनुसार होम्योपैथी की लोकप्रियता ऐलोपैथी के बाद दूसरे नम्बर पर है तथा होम्योपैथी लगभग 80 प्रतिशत रोगों का उपचार एवं बचाव मुहैया कराती है।

देर से ही सही, भारत सरकार के आयुष विभाग ने जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य के क्षेत्र में होम्योपैथी की संभावनाओं को देखते हुए राष्ट्रीय अभियान प्रारम्भ किया है। यह सराहनीय कदम है और निश्चित है कि इससे जच्चा-बच्चा मृत्यु दर में कमी आएगी तथा शिशुओं एवं माताओं के स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल हो सकेगी।

केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा होम्योपैथी के लिए उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं के अतिरिक्त कुछ निजी एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं ने भी अपने यहां होम्योपैथी चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। इसमें एन.टी.पी.सी., रेल्वे, राज्य बीमा कर्मचारी निगम प्रमुख हैं। कुछ राज्य सरकारों ने अपने प्रदेश में शासकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना की है। कुछ राज्यों में पंचायत राज, ज़िला परिषद, नगर पालिका आदि में भी होम्योपैथिक चिकित्सालय स्थापित किए गए हैं परंतु अभी होम्योपैथी की सुविधाओं को और बढ़ाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कुछ राज्यों में तो सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति कर ली गई है परंतु कई राज्य अभी पीछे हैं। इस काम में तेज़ी लाने की आवश्यकता है क्योंकि इससे एक छत के नीचे सभी पद्धतियों की सुविधाएं ज़रूरतमंद लोगों को उपलब्ध हो सकेंगी।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में होम्योपैथी को जो स्थान मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है जबकि होम्योपैथिक चिकित्सक एवं उसकी औषधियां राष्ट्रीय कार्यक्रमों को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं तथा सबको स्वास्थ्य का संकल्प पूरा करने में सहयोग कर सकते हैं। ***(स्रोत फीचर्स)***